राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –12/2022 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. भैरूलाल पिता स्व० छगना जाट निवासी हाजियास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भंवर पिता स्व0 छगना जाट निवासी हाजियास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सायरी पत्नी स्व० छगना जाट निवासी हाजियास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

**रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट सपठित आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 जा.दी.**

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 21.11.2025

विपक्षीगणों ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता/पति स्व. छगना जाट पिता सांवता जाट निवासी हाजियास तहसील–हुरड़ा को ग्राम हाजियास की कमाण्ड क्षेत्र की आराजी नं. 1683/1593/85 में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन संवत् 2043 में दिनांक 03–07–1983 को किया गया था जिसके संबंध में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा द्वारा न्यायालय आपमें प्रकरण सं. 557/1996 आ. नि. संस्थित कराया गया जिसमें न्यायालय आपके निर्णय दिनांक 01–11–1996 से अलोटी के द्वारा शर्तों की पालना नहीं किये जाने से व नजराना राशि 2,603/–दो हजार छः सौ तीन रूपये जमा नहीं कराने के कारण तथाकथित भूआवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध हम विपक्षीगण ने माननीय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्राधिकारी जी भीलवाड़ा के न्यायालय में एल.आर.एक्ट अपील सं. 36/2011 प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय आपमें पुनः प्रतिप्रेषित किया गया जिस पर आपमें प्रकरण सं. 19/2012 आ.नि. दर्ज किया गया। न्यायालय आपमें उक्त प्रकरण सं. 19/2012 आ.नि. दर्ज होने के बाद विपक्षीगण की ओर से साक्ष्य में भैरूलाल पिता छगना जाट का दिनांक 14–08–2013 को शपथपत्र पेश कर बताया कि छगना जी को उक्त भू आवंटन के समय आराजी नं. 1683/1593/85 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा डाले गये थे। अब चूंकि कम्प्यूटर में तीन बटा नंबर फीड नहीं हो पाता है, इस कारण से अब इस आराजी के नवीन आराजी नंबर 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पड़े हैं जिस पर हमारा कब्जा चला आ रहा है सो इस आवंटन को कायम रखाया जाकर यह भूमि हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करायी जावे। इस बाबत् पटवारी हल्का फलामादा की दिनांक 13–06–2013 की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पर भैरू भंवर पिता छगना जाट व सायरी बेवा छगना जाट का मौके पर कब्जा हैं। यह भूमि पूर्व में इनके पिता छगना पिता सांवता जाट के नाम दिनांक 13–07–1983 को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने से अब तक उपरोक्त व्यक्तियों का ही मौके पर कब्जा है तथा काश्त करते हैं। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की भू राजस्व व जुर्माना बकाया नहीं है। उक्त प्रकरण सं. 19/2012 आ.नि. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा बनाम भैरू भंवर सायरी जाट दिनांक 05–06–2015 को अस्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया गया कि प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन निरस्तीकरण किये जाने का अस्वीकार किया जाता है और प्रकरण का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि यदि उक्त विवेचित आराजी नं. 1683/1593/85 जिसके हाल आराजी नं. 6 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण यदि मौके पर भौतिक रूप से काबिज हो तो विपक्षीगण से नियमानुसार ब्याज / पेनल्टी राशि एवं नियत नजराना राशि लेकर के उपखण्ड अधिकारी विपक्षीगण को नियमानुसार खातेदारी अधिकार देवे। न्यायालय आदेश में भूलवश आवंटित आराजी नं. 1683/1593/85 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के हाल आराजी खसरा सं. 6 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा लिख दिये गये हैं जबकि विपक्षी भैरूलाल जाट के शपथपत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का फलामादा दिनांकित 13–06–2013 में स्पष्ट रूप से इस

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

24.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी को परिवर्तित खसरा सं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा हैं। हम विपक्षीगण ने अपने जवाब व अपील में व प्रार्थी तहसीलदार हुरड़ा ने अपने प्रार्थनापत्र में उक्त आवंटित आराजी का हाल आराजी नं. 6 कहीं नहीं लिखा है व नया कोई सेटलमेंट भी नहीं हुआ है। उक्त आदेश में भूलवश हाल आराजी नंबर 6 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा लिख दिये जाने से नजराना राशि/पेनल्टी व ब्याज राशि जमा नहीं हो पा रही है व उक्त आवंटित भूमि हम विपक्षीगण के नाम पर दर्ज नहीं हो पा रही है। उक्त आवंटित भूमि व उसके आस पास आराजी नं. 6 है ही नहीं फिर भी आराजी नं. 6 लिख दिये जाने से उक्त आवंटित परिवर्तित आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज नहीं हो पा रही है व यह भूमि बिलनाम के रूप में दर्ज चली आ रही है जबकि इस भूमि पर वक्त आवंटन से ही निरंत हम आवंटियों का कब्जाकाश्त चला आ रहा है व हमने ही इस भूमि को हजारो रूपयों की लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है व हमारा परिवार इसी भूमि पर आश्रित है व हम भूमिहीन काश्तकार है। आदेश में उक्त भूल की जानकारी हम विपक्षीगण को दिनांक 30–01–2022 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई जिस पर हमने दिनांक 31–01–2022 को उक्त पत्रावली से नकलें लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर नकलें दिनांक 01–02–2022 को प्राप्त हुई जिससे यह रिव्यू प्रार्थनापत्र की जानकारी मिलने से व मिलने नकल निर्णय से अंदर अवधि एक माह में पेश है। दिनांक 05–06–2015 से दिनांक 30–01–2022 तक का समय कण्डोन कराया जाकर इस रिव्यू प्रार्थनापत्र को अंदर अवधि में शुमार कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय तारीखी 5–6–2015 में विवेचित आराजी नं. 1683/1593/85 के आगे जो शब्द "जिसके हाल आराजी नं. 6" टंकण की भूल से लिख दिया गया है उसके स्थान पर ग्राम हाजियास तहसील–हुरड़ा की आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ताकि उक्त नजराना राशि/पेनल्टी व ब्याज राशि जमा होने के बाद उक्त आवंटित आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा हम विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो सके।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी की ओर

21.1.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

विपक्षी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तारीखी 5–6–2015 में विवेचित आराजी नं. 1683/1593/85 के आगे जो शब्द "जिसके हाल आराजी नं. 6" टंकण की भूल से लिख दिया गया है उसके स्थान पर ग्राम हाजियास तहसील–हुरड़ा की आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ताकि उक्त नजराना राशि/पेनल्टी व ब्याज राशि जमा होने के बाद उक्त आवंटित आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा हम विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो सके।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। न्याय हित में विपक्षीगणों को रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार जाना न्यायोचित ठहरता हैं। अतएव –

# आदेश

विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्त सपठित धारा आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता हैं। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2012 आ.नि. निर्णय तारीखी 5–6–2015 में विवेचित आराजी नं. 1683/1593/85 के आगे जो शब्द "जिसके हाल आराजी नं. 6" टंकण की भूल से लिख दिया गया है उसके स्थान पर ग्राम हाजियास तहसील–हुरड़ा की आराजी नं. 1827/1593 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पढा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा